न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:– प्रकाश चन्द्र चौधरी आरएएस

प्रकरण सं. 21/2017

उपस्थान:–

1 गुरूद्धारा श्री सिंह सभा प्रबंधक कमेटी हांसलिया जरिये सदस्य जोगेन्द्र सिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति जटसिख सा.हांसलिया ।
2 कुलदीप सिंह पुत्र उजागरसिंह जाति कम्बोजसिख सा. हांसलिया।
3 गुलाल सिंह पुत्र जसपाल सिंह सा. हांसलिया।
4 गुरजीत सिंह पुत्र मदन सिंह सा.हांसलिया।

प्रार्थीयान

बनाम

ग्राम पंचायत हांसलिया जरिये सरपंच ग्राम पंचायत हांसलिया तह0 पीलीबंगा।

अप्रार्थी

निगरानी विरुद्ध प्रस्ताव सं0 1 दिनांक 20.7.17 व नोटिस दिनांक 31.7.17

उपस्थित:–

1 श्री राजकुमार शर्मा अभिभाषक निगरानीकर्ता।
2 श्री रिछपाल सिंह अभिभाषक प्रार्थी सं.1 व 3
3 श्री आत्मासिंह नन्दा अभिभाषक अप्राथी।

–:निर्णय:–

दिनांक:–14.2.2018

निगरानीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम हांसलिया में सिख समुदाय के लोगों के लिए पूजा एवं पाठ के लिए गुरूद्धारा बना हुआ है।जिसकी एक कमेटी गुरूद्धारा श्री सिंह सभा हांसलिया के नाम से गठित है तथा प्रार्थीगण उसी कमेटी के सदस्य हैं। ग्राम पंचायत हांसलिया की आबादी भूमि में करीब 30 वर्ष पूर्व उत्तर दिशा में भू0सं0 33,34, ए में गुरूद्धारा का निर्माण किया गया था जिसका बाद में पटटा जारी किया गया। दिनांक 20.7.17 को ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव सं. 1 पारित किया व प्रस्ताव सं. 1 द्वारा गुरूद्धारा सिंह सभा को इस आश्य का नोटिस दिया कि बैठक दिनांक 20.7.17 के अनुसार प्रस्ताव सं0 1 के अनुसार आपको नोटिस से सूचित किया जाता है कि आपने वार्ड नं0 1 हांसलिया गांव की फिरनी मुख्य सड़क पर दीवार बनाकर अतिक्रमण कर रखा जिससे

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवागमन बाधित हो रहा है। अगर आपके पास कोई दस्तावेज है तो 3 दिवस में प्रस्तुत करें अन्यथा इस अतिक्रमण को 7 दिवस में हटा लेवें अन्यथा कानूनी कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावेगी। यह नोटिस दिनांक 31.7.17 को जारी किया गया। उक्त नोटिस देने के बाद दिनरंक 02.8.17 को इसकी सूचना गुरूद्वारा कमेटी को मिली तथ दिनांक 03.8.17 को सरपंच ग्राम पंचायत हांसलिया द्वारा व्यक्तिगत रंजिश रखते हुए व राजनैनिक दबाब में आकर गुरूद्वारा में बने कमरे व लंगर हॉल को तोड़ना शुरू कर दिया। इसमें जेसीबी द्वारा एक दीवार के साथ तोड़ फोड़ की गयी है। इस प्रस्ताव को निम्न आधारों पर चुनौती दी गयी है:–

1 यह कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव सं. 1 विधि विरूद्ध तरीके से पारिज किया गया है जो मौके की स्थिति का अवलोकन न कर अपने पद का दुरूपयोग किया गया है।

2 यह कि भूखण्ड सं0 33 ए व 34ए पर गुरूद्वारा स्थित है। उपरोक्त दोनों प्लाट गुरूद्वारा को आवंटित हुए हैं तथा उसके उत्तर दिशा के आरे ही खाली भूमि है जो करीबन 30 वर्षो से गुरूद्वारा के कब्जा में है तथा उसमें गुरूद्वारा लंगर के आयोजन हेतु हॉल व अन्य कमरे बने हुए हैं जिनमें किसी का व्यक्तिगत हित नहीं है ना ही किसी को लाभ पहुंचाया जाना है।

3 यह कि सरपंच द्वारा दिनांक 31.7.17 को सात दिवस का नोटिस देने के बाद मात्र तीसरे दिवस ही तोड़फोड़ की कार्यवाही करना अशोभनीय है।

4 यह कि सरपंच द्वारा पंचायत अधिनियम 1996 के नियमों की पालना नहीं की गयी है तथा विधि विरूद्ध तरीके से प्रस्ताव पारित कर उपरोक्त कार्यवाही की है।

5 यह कि सरपंच द्वारा प्रस्ताव सं0 1 गुप्त तरीके से पारित किया गया है जो सिख समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए पारित किया गया है।

निगरानी प्रस्तुत कर प्रस्ताव सं0 1 दिनांक 20.7.17 को निरस्त करने व नोटिस 31.7.17 अनुसार की जा रही कार्यवाही तत्काल रोकने का निवेदन किया गया।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। अप्रार्थी की ओर से श्री आत्मा सिंह नन्दा अभिभाषक उपस्थित आये। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्राथ्रना पत्र प्रस्तुत कर आपति की कि गुरूद्वारा सिंह सभा प्रबंधक कमेटी द्वारा निगरानी पेश करने

अर्थात किस हैसियत से निगरानी पेश की गयी है। गुरूद्धारा प्रबंधक कमेटी की कोई नियमावली पेश नहीं की गयी है जिसमें अध्यक्ष अधिकारिता व अन्य सदस्यगण की अधिकारिता का उल्लेख होता है व कार्यकारिणी के कितने सदस्यगण होंगे निगरानीकर्ता नियमावली या संविधान के तहत सक्षम हैं का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार बिना अधिकारिता के निगरानी प्रस्तुत की गयी है जिसमें Locus standi का अभाव है। प्रस्ताव सं. 1 गांव की फिरनी की मुख्य सड़क है वार्ड नं0 4 में बाहरी फिरनी पर अतिक्रमण कर रखा है को हटाने प्रस्ताव सं. 1 पारित किया गया है। गुरूद्धारा की जगह जिसका पटटा जारी है कोई सरोकार नहीं है। ग्रम पंचायत का गांव की फिरनी 30 फुट से ही वास्ता है। अतः निगरानी बिना अधिकारिता के खारिज फरमाई जावे।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थीयान द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा गुरूद्धारा में बने लंगर हाल व अन्य कमरे बने हुए हैं। नोटिस दिनांक 31.7.17 को जारी करते हुए सात दिवस में अवैध कब्जा को हटाने बाबत जारी किया गया जबकि ग्राम पंचायत द्वारा 3 दिवस बाद ही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही किया जाना राजनैतिक द्वेषता को दर्शाता है। साथ ही प्रस्ताव सं0 1 गुप्त तरीके से पारित किया गया है। इसलिए निगरानी स्वीकार कर गुरूद्धारा के नाम जारी नोटिस को अपास्त किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में तर्क किया कि गुरूद्धारा की ओर से जिन व्यक्तियों द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उनके द्वारा गुरूद्धारा के संबधं मे गठित कमेटी व संविधान की प्रति प्रस्तुत कहीं की है जिसके कारण इनको निगरानी प्रा0पत्र प्रस्तुत करने की अधिकारिता नहीं है ना ही निगरानीकर्ताओं को कोई Locus standi है। इसलिए निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध बैठक कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत हांसलिया की बैठक दिनांक 20.7.17 के प्रस्ताव सं0 1 में अंकित है कि सदन में प्रस्ताव रखा गया कि गांव हांसलिया में गुरूद्धारा व वार्ड नं0 4 में बाहरी फिरनी के पास महेन्द्र सिंह पुत्र भूरा सिंह मजबी व मखन सिंह ने आम रास्ते पर चार दीवारी व डिग्गी व स्नान घर बनाकरा अतिक्रमकण कर रखा है जिससे आवागमन मे परेशानी होती है। इससे हटवाया जाना अति आवश्यक है। अतः सदन द्वारा सर्व सम्मति में निर्णय लिया गया कि उक्त अतिक्रमण हटाने हेतु संबंधित को नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने हेतु कहा

जिला कलक्टर

जाये। इस प्रस्ताव में यह नहीं लिखा गया है कि गुरूद्धारा द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा गुरूद्धारा के नाम जो नोटिस जारी किया गया है वह गलत है। जिसको निरस्त किया जाना उचित है। साथ ही पूर्ण रिकार्ड सहित सभी पक्षकारो को समुचित सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय किये जाने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गुरूद्धारा श्री सिंह सभा प्रबंधक कमेटी हांसलिया के नाम जारी नोटिस दिनांक 31.7.2017 निरस्त किया जाता है। साथ ही प्रकरण पंचायत समिति पीलीबंगा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत स्थल से संबंधित पूर्ण रिकार्ड, नक्शा प्राप्त कर व प्रार्थीयान , ग्राम पंचायत व अन्य प्रभावित व्यक्तियों को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए व साक्ष्य प्राप्त कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति पंचायत समिति पीलीबंगा व ग्राम पंचायत हांसलिया को जरिये पत्र भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(प्रकाश चन्द्र चौधरी)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़